



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जैत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeeb Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in
दिनांक : 26.07.2017

फा.11028-11/2015-केवीएस(प्रशासन.)/Vol -II

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 30.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की स्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	डबरा, जिला ग्वालियर	C/o शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौदपुर (बमरोनी मंदिर के पास), डबरा, जिला ग्वालियर - 475110 मध्य प्रदेश।

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2017-18 के दौरान प्रारंभ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में छेबसहस्र) संचालित होंगे और इसके पर्याप्त साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।


(डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्यिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त(शै.) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, के.वि.सं.क्षे.का. भोपाल को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के.वि.सं. को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा) भोपाल, मध्य प्रदेश।
9. जिला कलेक्टर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ।
10. अधिक्षण अभियंता के.वि.सं को उनकी फाइल संख्या F.110111/388/2017-KVS(HG)Works दिनांक 20.07.2017 के संबंध में।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्प्यूटरी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
12. के.वि.सं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
14. निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचनिक संस्थान।
15. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17. गार्ड फाइल।


प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय डबरा (म.प्र.)
KENDRIYA VIDYALAYA DABRA (M.P.)